फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible], जयपुर

केस संख्या 149/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/12/22	आपत्ती पेश हुई अधिवक्ता सब द्वारा [illegible] पेश हुए 27/12/22	
	27/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। वकील पार्टी की प्रार्थना पर पत्रावली को अवलोकन करने व वकील पार्टी की बहस को सुनने पश्चात पत्र में पार्टीगण को सादा पत्रावली में अंकित राशि का प्रति में पक्षकारान करना चाहते हैं, अतः न्यायालय द्वारा प्रति के ही आदेश दिये जाकर पालना हेतु भेजी है। अतः प्रति प्रतिवादी आदेश पारी नहीं किये जा सकते हैं। अतः पार्टीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः पार्टी को प्राप्त पत्र अन्तर्गत धारा 128 एम.आर.एल. स्वीकार/अस्वीकार के आधार पर कर निर्णय किया जाता है। पत्रावली केवल रुपया होकर गायब हो गया है तथा बाद प्रति होकर प्राप्त हुआ है।	

उपखण्ड अधि[illegible]
[illegible] जिला [illegible]